भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1956
दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अस्थायी बाजार में खाद्य सुरक्षा

1956. श्रीमती शांभवी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में त्यौहारों या विशेष अवसरों के दौरान स्थापित अस्थायी बाजारों में खाद्य सुरक्षा निरीक्षण करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान खाद्य सुरक्षा विनियमों का पालन करने में विफल रहने वाले अस्थायी बाजारों के विरूद्ध कोई उपाय लागू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने देश में पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक (ईएसजी) मानकों और सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी बाजारों हेतु कोई अनिवार्य अनुपालन दिशा-निर्देश या विनियम जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख)): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से त्योहारों या विशेष अवसरों के दौरान स्थापित अस्थायी बाजारों से खाद्य उत्पादों सहित खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूनाकरण करता है। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए है। ऐसे मामलों में जहां खाद्य नमूने अननुरूप पाए जाते हैं, खाद्य सुरक्षा (एफ़एसएस)

अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने सभी राज्य खाद्य आयुक्तों को निर्देश दिया है कि वे बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, स्थानीय मेलों, कांवड़ यात्रा, अमरनाथ यात्रा जैसे बड़े जनसमूह वाले क्षेत्रों में और त्योहारों के मौसम के दौरान मिलावट की जांच और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल खाद्य परीक्षण वैन या फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) तैनात करें।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्लेषित किए गए प्रवर्तन नमूनों, अननुरूप पाए गए नमूनों तथा की गई दंडात्मक कार्रवाई का विवरण, जिसमें अस्थायी बाजारों से उठाए गए नमूने भी शामिल हैं, निम्नानुसार है:

वर्ष	विश्लेषण किए गए नमूने	अननुरूप पाये गए नमूनों की संख्या	शुरू किए गए दांडिक मामलों की संख्या	शुरू किए गए आपराधिक मामलों की संख्या
2023-24*	169725	33368	30427	4707
2022-23	177511	44626	38096	4818
2021-22	144345	32934	28906	4946

* वर्ष 2023-24 के लिए डाटा अनंतिम हैं ।

(ग) सभी खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियमन, 2011, के प्रावधानों का पालन करना होता है। इस विनियम में "पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले छोटे खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य स्वास्थ्यकर और स्वच्छता संबंधी प्रथाएं" और "स्ट्रीट फूड विक्रेताओं और विनिर्माण/प्रसंस्करण के अलावा अन्य इकाइयों के लिए स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं।

****